कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी स्याना (बुलन्दशहर)

पत्रांक 84 /भूसा,साइलेज,संकेन्द्रित आहार/ई–टेण्डर/ 2025–26 दिनांक 28–04–2026

अल्पकालीन ई– निविदा आमंत्रण

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, बुलन्दशहर के पत्रांक 12413/ भूसा–ई–टेण्डर 2025–26 दिनांक 13–02–2026 के परिपालन में विकास खण्ड स्याना में स्थित समस्त अस्थायी गौशालाओं में संरक्षित गौवशों के भरण पोशण हेतु वर्ष पर्यन्त पशु आहार (भूसा/हरा चारा/दाना एवं साइलेज)/ आहार की आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं फाइनेन्शियल बिड htp.www.etendar.up.in पर पंजीकृत ठेकेदारों से ई–निविदा द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। इसी कम में आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल मेरठ के पत्र संख्या 1832/गो–आश्रय स्थल/2025–26 दिनांक 02–02–2026 के द्वारा बिन्दु–2 से अवगत कराया गया है कि प्रत्येक गोवंश को निर्धारित रू0 50/– की सीमा के अन्तर्गत 03 किलो भूसा (रू0 7–8 प्रति कि0), 05 किलो हरा चारा (रू0 2.50–3.00 प्रति कि0लो0), 500 ग्राम पशु आहार (रू0 21–22 प्रति कि0) आहार में दिया जा सकता है अथवा हरे चारे की अनुउपलब्धता होने पर 03 किलो साईलेज (रू0 8.00 प्रति कि0लो0), 02 कि0लो0 भूसा (रू0 7–8 प्रति कि0लो0), 500 ग्राम पशु आ0 (रू0 21–22 प्रति कि0लो0) आहार के रूप में दिया जा सकता है। **अल्पकालीन ई–निविदा दिनांक 04–05–2026 से दिनांक 11–05–2026 की पूर्वान्ह 11:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है।** ई–निविदा में अपलोड में किये गये दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 11–05–2026 को 12:00 अपरान्ह तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। दिनांक 11–05–2026 को अपरान्ह 13:30 बजे से अधोहस्ताक्षरी एवं गठित समति तथा निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई–निविदा खोली जायेगी। अवकाश /आवश्यक शासकीय कार्य की स्थिति में यह निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। सम्बन्धित नियम शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

क्र0 स0	कार्य का नाम	प्रति वर्ष अनुमानित आपूर्ति कुन्तल में	क्रय दर रूपये में प्रति कुन्तल	निविदा अनुमानित कुल मूल्य	ई0एम0डी0 राशि 1 प्रतिशत (रूपये) में	निविदा प्रपत्र की फीस (रू0) में	आपूर्ति करने की अवधि
1	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवशो हेतु भूसा आपूर्ति	5037 कु0	800	11386000.00	113860.00	3000.00	31.03.2027 तक
2	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशालाओं गौवशो हेतु हरा चारा आपूर्ति	8060कुन्तल	300				31.03.2027 तक
3	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवशो हेतु दाना आपूर्ति	1512 कुन्तल	2200				31.03.2027 तक
4	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवशो हेतु साइलेज आपूर्ति	2015 कुन्तल	800				31.03.2027 तक

निविदा की शर्ते

1–निविदा में दिये जाने वाले प्रपत्र

2–तकनीकी बिड के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र

3–न्यूनतम तीन वर्षो का किसी आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति करने का कार्यादेश अथवा कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रमाणपत्र

4–चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित टर्न ऑवर प्रमाणपत्र।

5–जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन (केवल उत्तर प्रदेश का मान्य होगा) प्रमाणपत्र

4

6–10 रू0 के शपथ पत्र पर नोटरी द्वारा सत्यापित स्वयं घोषणा कि निविदाकर्ता किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही है।

7–यह अनुबन्ध सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक **31–03–2027 तक मान्य** होगा।

8–समस्त प्रपत्र/अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित स्कैन्ड प्रति ई–निविदा पोर्टल बेब साईट पर अपलोड कराना आवश्यक होगा।

9–फाइनेन्शियल कैपेबिलिटी से सम्बन्धित अर्हताये हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष बिड खुलने की तिथि तक औसत वार्षिक वित्तीय टर्नऑवर, बिड की अनुमानित लागत का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए।

10–ई0एम0डी0 कुल निविदा मूल्य का एक प्रतिशत बैक एफ0डी0आर0 के रूपमें खण्ड विकास अधिकारी स्याना के नाम बंधक होना अनिवार्य होगा।

11–सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व 07 दिवस के भीतर 3 प्रतिशत ई0पी0बी0जी0 बैक एफ0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी स्याना के नाम बंधक रख वाया जाना अनिवार्य होगा।

12–बिल से नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।

13–एम0एस0एम0ई0 एवंस्टार्टअप के लिये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के नियामनुसार टर्न ऑवर, कार्य अनुभव एवं ई0एम0डी0 से छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट केवल उत्तर प्रदेश में स्थित एम0एस0एम0ई0 एवं स्टॉट अपको ही अनुमान्य होगें।

14–निविदा को पूर्ण एवं आंशिक रूप से बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी स्याना में निहित होगा।

15–कोई भी निविदादाता जो किसी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

16–सशर्त एवं अपूर्ण कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

17–गोवंशों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा खण्ड विकास अधिकारी स्याना/सम्बन्धित ग्राम पचायत द्वारा परिवर्तित की जा सकती है।

19–निविदादाता को अपने हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम मो0नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 पत्राचार का पता साफ–साफ लिखना अनिवार्य होगा।

20–निविदा दाता किसी भी कार्य दिवस में भूसा आदि आपूर्ति हेतु स्थल का निरीक्षण सुनश्चित कर लें।

21–वाद विवाद सम्बन्धी किसी भी मामले का निस्तारण खण्ड विकास अधिकारी स्याना द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उच्च जिलास्तरीय अधिकारी/ मा0 जिला न्यायालय बुलन्दशहर का ही मान्य होगा।

22–एकल निविदा होने की स्थिति निविदा स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

23–निविदा फार्म की फीस बैक डी0डी0 अथवा खण्ड विकास अधिकारी स्याना के बैक खाता संख्या **04790001102417810 IFS CODE PUNB0047900** पंजाब नैशनल बैंक स्याना में जमा करनी होगी।जो किसी भी परिस्थिति में वापस नही की जायेगी। साथ ही निविदाता को कार्यालय ख0वि0अ0स्याना में पंजीकरण भी कराना होगा।

24–आपूर्तिकर्ता को क्षेत्र पंचायत स्याना के अन्तर्गत आपूर्ति ग्राम पंचायत में स्थित अस्थाई गौआश्रय स्थलो मे आपूर्ति स्वयं के संसाधनों द्वारा समय–समय पर मॉग के अनुसार करनी होगी एवं बिल भुगतान हेतु प्राप्त धनराशि के अनुसार ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर भुगतान किया जायेगा।साथ ही अनुबन्ध भी सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

25–भुगतान मासिक आधार पर वास्तविक आपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

(मोकाम सिंह)
खण्ड विकास अधिकारी
स्याना–बुलन्दशहर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2–मुख्य विकास अधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3–जिला विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
4–परियोजना निदेशक महोदय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बुलन्दशहर।
5–जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर को नि शुल्क प्रकाशनार्थ।
6–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 बुलन्दशहर।
7–टैण्डर समिति के सदस्यां स0वि0अ0 (पं0)/स0वि0अ0 (कषि) जे0ई0आर0ई0डी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8–कैशियर विकास खण्ड स्याना को निविदा फॉर्म बिक्री की धनराशि नियमानुसार जमा करने हेतु।
9–कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10–सम्पादक..समाचार पत्र को शासकीय दरों पर प्रकाशित करने हेतु।

खण्ड विकास अधिकारी
स्याना–बुलन्दशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by MOKAM SINGH
Date: 2026.05.05 14:48:13 IST
Location: Uttar Pradesh-UP